

५४)

एक मासिक मजदूर
पत्रावली वाले साक्षर वादी आदि
मासिक मजदूर दि २२-८-२२ को
पेश हो।

उपरखण्ड अधिकारी
नीमराणा (अलवर) राज.

२२-८-२२

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह आद/ प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावे।

उपरखण्ड अधिकारी
नीमराणा (अलवर) राज.

